भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 167

03.02.2025 को उत्तर के लिए

एनसीएपी के तहत आवंटित धन

167. श्री योगेन्द्र चांदोनियाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार को दिल्ली में विशेषकर शीतकाल के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर और इसके नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ख) सरकार द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनमें बायु में पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के स्तर को कम करने के उपाय शामिल हैं;

(ग) दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगमों के बीच समन्वय और सहयोग का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रयासों के क्या परिणाम निकले?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) :

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में होने वाला वायु प्रदूषण अनेक कारकों का एक सामूहिक परिणाम है, जिसमें एनसीआर के अधिक घनत्व की आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाली मानवजनित गतिविधियां भी शामिल है, जो कि वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों से उडने वाली धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों से उडने वाली धूल, बायोमास के जलाए जाने, नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाए जाने, लैंडफिल में आग के लगाए जाने, बिखरे हुए स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। मानसून के बाद के और सर्दियों के महीनों के दौरान, तापमान के कम होने, कम ऊँचाई पर सम्मिश्रण होने, सामान्य के विपरीत हवा के तापमान में ऊंचाई के साथ वृद्धि की स्थिति होने और हवाओं के स्थिर होने के कारण प्रदूषकों का फँसना स्वाभाविक हो जाता हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अधिक प्रदूषण होता है।पराली को

जलाए जाने व पटाखों आदि जैसी प्रासंगिक घटनाओं से होने वाले उत्सर्जन के कारण यह प्रदूषण और भी बढ़ जाता है।

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से, एनसीआर और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जुलाई, 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट व्यापक नीति जारी की है। इसके अलावा, सर्दियों के महीनों के दौरान प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण एक्यूआई बिगड़ने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)लागू किया जाता है।

सभी हितधारकों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण, दिल्ली की वायु गुणवत्ता मेंक्रमिक रूप से सुधार हुआ है। अच्छे-मध्यम वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) श्रेणियों के दिनों की संख्या वर्ष 2016 में 110 दिनों की तुलना में लगातार दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2023 और 2024 में बढ़कर 200 से अधिक हो गई है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत, वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के माध्यम से दिल्ली को 42.69 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है, जिसमें से 13.56 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से सड़क की धूल के प्रबंधन (13.53 करोड़ रुपये) तथा निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन (0.53 करोड़ रुपये) के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार, पंजाब सहित अन्य पड़ोसी एनसीआर राज्यों, उनकी एजेंसियों, एनसीआर और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सीएक्यूएम और सुरक्षा तथा प्रवर्तन पर इसकी उप-समिति द्वारा जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों की संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करके और संबंधित विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्ट मांगने के माध्यम से प्रगति की सावधिक निगरानी की जाती है।

दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों को **संलग्नक-I** में दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

दिल्लीएनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

1. वायु गुणवत्ता निगरानी और नेटवर्क :

- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: देश में 1524 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (588 सतत और 966 मैनुअल) का नेटवर्क है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर शहरों सहित देश के 550 शहरशामिल हैं।
- सीपीसीबी द्वारा एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल संचालित किया जाता है, जिसमें प्रति घंटे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों के लाइव वायु गुणवत्ता डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी विभिन्न सूचनाओं पर नज़र रखी जाती है।
- सीपीसीबी की वेबसाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भारत के शहरों के एक्यूआई की जानकारी देते हुए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहन प्रदूषण, पराली जलाने, संधारणीय जीवनशैली आदि से संबंधित विभिन्न अभियान और सूचनात्मक पोस्ट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं।
- सीपीसीबी, दिल्ली और एनसीआर के शहरों के एक्यूआई, तुलनात्मक एक्यूआई स्थिति, पीएम सांद्रता के वर्षवार रुझान, दिन के हॉटस्पॉट, पराली जलाने के मामले, पराली जलाने से प्रदूषण में हुई वृद्धि और मौसम संबंधी पूर्वानुमान वाली दैनिक रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट आईएमडी, सफर, आईएआरआई, आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध इनपुट के आधार पर तैयार की जाती है और सीपीसीबी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

2. दिल्ली-एनसीआर में नियामक कार्रवाई :

- वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि की समस्या से निपटने हेतु दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया था, जिसे सीपीसीबी की अनुशंसा पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2017 में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया था। हाल के वर्षों में वायु गुणवत्ता के संबंध में किए गए कार्यों और देखे गए सुधार के आधार पर सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2020 में जीआरएपी के तहत सूचीबद्ध कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई थी। सीपीसीबी द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर, संशोधित जीआरएपी को एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके कार्यान्वयन के लिए आगे के निर्देश जारी किए गए थे। जीआरएपी के तहत विभिन्न एक्यूआई स्तरों के लिए सूचीबद्ध कार्यों को समय-समय पर सीएक्यूएम द्वारा गठित एक उप-समिति, जिसमें सीपीसीबी एक सदस्य होता है,द्वारा लागू किया जाता है।

- सीएक्यूएम द्वारा विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय जैसे कि डीजी सेट में आरईसीडी सिस्टम/डबल फ्यूल किट लगाना, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में ईवी/सीएनजी/बीएसVI डीजल ईंधन का उपयोग, सीएंडडी स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का क्रियान्वयन आदि, निर्धारित करने के निदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सीपीसीबी भी एक सदस्य है, और उसके द्वारा सीएक्यूएम को तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है।

3. दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय :

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की।उक्त योजना के तहत, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की लागत पर 50% सब्सिडी व्यक्तिगत रूप से किसानों को प्रदान की जाती है और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2024 के दौरान, उक्त योजना के तहत दिल्ली और अन्य राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि 3532.88 करोड़ रुपये है, जिसका उपयोग करके, 3 लाख से अधिक फसल अवशेष मशीनरी व्यक्तिगत रूप से किसानों और सीएचसी को वितरित की गई हैं, और 40,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए गए हैं।इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023 में मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना को सहायता देने के लिए योजना के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की राज्य सरकारें, दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और विभिन्न अन्य हितधारकों जैसे इसरो, आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के साथ आयोजित बैठकों की श्रृंखला में किए गए विचार-विमर्श और चर्चाओं के आधार पर, सीएक्यूएम ने फसल अवशेष जलाने पर नियंत्रण/इसके उन्मूलन के लिए संबंधित राज्यों को एक रूपरेखा प्रदान की है और उन्हें रूपरेखा के प्रमुख विन्यासों के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है।राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की सीएक्यूएम द्वारा समीक्षा की गई और तत्पश्चात चर्चा के आधार पर इन्हें वर्ष 2024 के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन्हें अद्यतन किया गया और अंतिम रूप दिया गया। सीएक्यूएम द्वारा दिनांक

12.04.2024 कोवर्ष 2024 के दौरान धान की पराली जलाने की रोकथाम और इसके नियंत्रण के लिए रूपरेखा और संशोधित कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक निर्देश, संबंधित राज्यों को जारी किया गया था, ताकि सख्त प्रवर्तन के माध्यम से इस प्रणाली को समाप्त किया जा सके।

- धान की पराली के बाह्य स्थाने प्रबंधन में सहायता देने वाली योजनाओं/पहलों के अभिसरण के लिए विशेष सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है।

- सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित तापीय विद्युत संयंत्रों और एनसीआर में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कैप्टिव विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ 5-10% बायोमास के सह-दहन के निर्देश भी जारी किए हैं।

- सीएक्यूएम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने और नियंत्रित करने के लिए संशोधित कार्य योजना को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। 28 लाख रुपये प्रति टन प्रति घंटा (टीपीएच), या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी, जो भी कम हो, के लिए विचारित पूंजीगत लागत का 40% प्रति प्रस्ताव 1.4 करोड़ रुपये की अधिकतम कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। टॉरफिकेशन प्लांट की स्थापना के मामले में, 56 लाख रुपये प्रति टीपीएच, या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी, जो भी कम हो, के लिए विचारित पूंजीगत लागत का 40%प्रति प्रस्ताव 2.8 करोड़ रुपये की अधिकतम कुल वित्तीय सहायता के साथ एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

- अब तक सीपीसीबी के उक्त दिशा-निर्देशों के तहत पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन संयंत्र की स्थापना के लिए कुल 17 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 02 संयंत्र नहीं लगे हैं। स्वीकृत 15 संयंत्र की पेलेट उत्पादन क्षमता 2.07 लाख टन/वर्ष है। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष 2.70 लाख टन धान की पराली का उपयोग होने की उम्मीद है।

- वर्ष 2023 (दिनांक 10.11.23 से आगे) के पराली जलाने के मौसम के दौरान, पंजाब के 22 जिलों और हरियाणा के 11 जिलों में धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए निगरानी

और प्रवर्तन कार्रवाई को तेज करने हेतु एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम की सहायता के लिए सीपीसीबी के 33 वैज्ञानिकों को उड़न दस्तों के रूप में तैनात किया गया था। इन उड़न दस्तों ने राज्य सरकार/नोडल अधिकारियों/संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ समन्वय किया और सीएक्यूएम को अपनी दैनिक रिपोर्ट भेजी।इस वर्ष भी, सीपीसीबी ने पराली जलाने के संबंध में निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के लिए दिनांक 01 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2024 की अवधि के लिए 26 टीमें (पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों में) तैनात की हैं।

4. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय :

- सीएक्यूएम द्वारा दिल्ली सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेष रूप से एनसीआर में बसों को स्वच्छतर साधनों में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के किसी भी शहर/कस्बे के बीच चलने वाली सभी राज्य सरकारों की बस सेवाएं 01.11.2023 से केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली-एनसीआर में 3256 पेट्रोल पंपों पर वीआरएस प्रणाली की स्थापना की गई है।

5. औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय

- दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना।
- दिल्ली में औद्योगिक इकाइयां पीएनजी/स्वच्छतर ईंधन पर परिवर्तित हो गई हैं, तथा एनसीआर में परिचालन इकाइयां पीएनजी/बायोमास पर परिवर्तित हो गई हैं।
- दिल्ली और एनसीआर में ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदलने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा में 1762 भट्टे, उत्तर प्रदेश में 1024 भट्टे और राजस्थान में 217 भट्टे सहित कुल 4608 ईंट भट्टों में से 3003 भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में बदल दिया गया है। जिन ईंट भट्टों को जिग-ज़ैग तकनीक में नहीं बदला गया है, उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं है।

- डीजी सेट उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के रेट्रोफिटमेंट/उन्नयन के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- 24 अक्टूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट्ट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- दिल्ली-एनसीआर में 01.01.2023 से अनुमोदित ईंधनों की सूची लागू है। तकनीकी, प्रौद्योगिकीय और प्रक्रिया आवश्यकताओं के कारण विशिष्ट उद्योगों द्वारा अन्य ईंधन की विशिष्ट आवश्यकता को छोड़कर, केवल पीएनजीया बायोमास पर चलने वाले उद्योगों को हीएनसीआर में अनुमति दी गई है। एनसीआर में 7759 ईंधन आधारित उद्योगों में से 7449 कोअनुमोदित किए गए ईंधनों पर परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि शेष 310 उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं।

- एनसीआर में अनुपालन हेतु बायोमास आधारित बॉयलरों के लिए कड़े पीएम उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

6. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट

- सीएंडडी स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए डीपीसीसी और एनसीआर एसपीसीबी को निर्देश जारी किए गए।

- एनसीआर में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा "धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ" स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए।

- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया।

7. दिल्ली-एनसीआर में गहन निगरानी और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन

- दिसंबर 2021 से सीपीसीबी ने सीएक्यूएम की सहायता के लिए 40 टीमों को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों, सीएंडडी साइटों, डीजी सेटों का गुप्त निरीक्षण करने के लिए तैनात किया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कार्यान्वयन स्थिति और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जा सके।

8. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम :

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों के 130 शहरों (मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

- दिल्ली एनसीआर में कुल 06 मानकों को पूरा नहीं करने वाले (नॉन-अटेन्मेंट) साइट्स (एनएसी) हैं, जिनमें से 03 शहर - दिल्ली, अलवर और नोएडा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत वित्त पोषित हैं और 03 शहर- गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) के तहत वित्त पोषित हैं।

- सभी 06 चिन्हित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी कार्य योजनाएं भी कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं।

9. अन्य :

- **"एक पेड़ माँ के नाम"** अभियान के तहत दिल्ली- एनसीआर राज्यों में 2.07 करोड़ पेड़ (दिल्ली में 2.06 लाख पेड़, हरियाणा में 61 लाख पेड़, उत्तर प्रदेश में 1.11 करोड़ पेड़ और राजस्थान में 32.9 लाख पेड़) लगाए गए हैं।

*****